दिनांक: 13/04/2016

वरिष्ठ क्षेत्रीय अभियंता रत्नागिरी और कारवार। वरिष्ठ अभियंता, कार्य रत्नागिरी और कारवार।

विषय :- केआरसीएल के ठेकेदारों की अनुमोदित सूची में पंजीकरण के लिए नीति परिपत्र में उप-संशोधन- सुधार पर्ची संख्या 1 दिनांक 04/04/2016

उपरोक्त के संबंध में. मौजूदा नीति परिपत्र जो 04/09/2009 को जारी किया गया था, इन में सक्षम प्राधिकारी ने कुछ खंडों में संशोधनों को मंजूरी दे दी है।

सुधार पर्ची संख्या 1 दिनांक 13/04/2016 अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है और इसे तत्काल प्रभाव से मौजूदा नीति परिपत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

मुख्य अभियंता

संलग्नक: सुधार पर्ची क्रमांक 1

प्रतिलिपि - अध्यक्ष एंव प्रबंधक निदेशक के सचिव को कृपया अध्यक्ष एंव प्रबंधक निदेशक की जानकारी के लिए

निदेशक (वित्त) - कृपया जानकारी के लिए।
निदेशक (परिचल एवं वाणिज्य) - कृपया जानकारी के लिए।
निदेशक (रेलपथ एवं कार्य) - कृपया जानकारी के लिए।
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी- कृपया जानकारी के लिए
आरआरएम/रत्नागिरी कृपया जानकारी के लिए
आरआरएम/कारवार कृपया जानकारी के लिए
उप मुख्य अभियंता/ट्रैक कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए
एएओ/रत्नागिरी कृपया जानकारी के लिए

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ठेकेदारों की अनुमोदित सूची में पंजीकरण के लिए पॉलिसी परिपत्र में सुधार शिप नंबर 1

क्रमांक	मद संख्या	मौजूदा		संशोधित	
भाग - ।					
1	4.2	ठेकेदारों की अनुमोदित सूची में चयन के बाद, ठेकेदारों को 3 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा		ठेकेदारों की अनुमोदित सूची में चयन के बाद, ठेकेदारों को 3 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित नानिरफंडेबेल बंद पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।	
		क्लास	पंजीकरण शुल्क	क्लास	पंजीकरण शुल्क (रु. में)
		E 1,000/-		Е	2,000/-
		D 5,000/-		D	10,000/-
		С	7,500/-	С	15,000/-
		В	10,000/-	В	20,000/-
		А	15,000/-	А	30,000/-
		पंजीकरण के लगातार वर्षों रूप से, उन्हें व लगात और नि लागत और नि लिए लिपिकीय करने के लिए		अनुमोदित सूची पंजीकरण के सम लगातार वर्षों के रूप से, उन्हें नोवि लागत और निवि लिए लिपिकीय १ करने के लिए 20 की वार्षिक फीस चाहिए।	ाय और अगले लिए अग्रिम टेस भेजने की दाओं आदि के पुल्क को कवर
2	4.3	स्थायी बयाना राशी जमा ठेकेदारों की अनुमोदित सूची में शामिल होने के बाद पार्टी को सावधि जमा रसीद (3 साल के		हटा दिया गया है फर्म को सभी प्रव निविदाओं के लिप दस्तावेज के साथ	नार की ए निविदा

		लिए वैध) के रूप में स्थायी बयाना राशि जमा करने की सलाह दी जाएगी।		उद्धृत करते समय व्यक्तिगत निविदा नोटिस में उद्धृत अपेक्षित ईएमडी जमा करना होगा।
		क्लास	एसईएमडी राशि(रू.)	
		क्लास A &B	1,00,000/-	
		क्लास C	50,000/-	
		क्लास D	20,000/-	
		क्लास E	10,000/-	
क्रमांक	मद संख्या	मौजूदा		संशोधित
3	4.4	ठेकेदारों की अनुमोदित सूची में पंजीकरण के बाद ठेकेदारों को निविदा नोटिस भेजने के लिए रु.1000/- प्रति वर्ष की दर से डाक शुल्क देना होगा।		हटा दिया गया है
4	4.5	यदि ठेकेदार सूचना के एक महीने के भीतर एसईएमडी, अपेक्षित पंजीकरण शुल्क और डाक शुल्क जमा करने में विफल रहता है, तो उसका नाम ठेकेदार की अनुमोदित सूची से हटा दिया जाएगा। ऐसे समय तक उन्हें सूची में अनंतिम रूप से जारी रखा जाएगा। इस प्रकार प्राप्त एसईएमडी, पंजीकरण शुल्क और डाक शुल्क इंजीनियरिंग विभाग द्वारा बनाए गए रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और सुरक्षित		ठेकेदारों को पंजीकरण के समय ही विभिन्न वर्गों के तहत पंजीकरण के लिए अपेक्षित गैर- वापसीयोग्य पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।

		हिरासत के लिए वित्त विभाग को भेज दिया जाएगा। अपेक्षित शुल्क जमा करने के लिए ठेकेदार को कोई और अनुस्मारक जारी नहीं किया जाएगा और पंजीकरण स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगा।	
भाग - ॥			
क्रमांक	मद संख्या	मौजूदा	संशोधित
5	5	नामों का विलोपन स्वीकृत सूची ठेकेदारों से नाम हटाने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जा सकता है A) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में ठेकेदार के प्रदर्शन पर प्रतिकृल रिपोर्ट B) ठेकेदार के खाते पर अनुबंध की समाप्ति। इस आधार पर नाम हटाने के संबंध में मुख्य अभियंता का निर्णय अंतिम होगा। C) पैरा 4.2, 4.3 और 4.4 में निर्धारित पंजीकरण शुल्क, निविदा नोटिस और एसईएमडी के लिए डाक शुल्क का भुगतान न करना। D)समाप्ति की नियत तारीख के 30 दिनों के भीतर एसईएमडी राशि का नवीनीकरण न होना। एफडीआर अविध समाप्त होने के संबंध में एजेंसी को कोई अनुस्मारक नहीं दिया जाएगा। E) किसी फर्म में किसी फर्म या व्यक्ति को दिवालिया घोषित करना। F) ठेकेदार जिस श्रेणी और कार्य	नामों का विलोपन स्वीकृत सूची ठेकेदारों से नाम हटाने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जा सकता है 1. वार्षिक गोपनीय में ठेकेदार के प्रदर्शन पर प्रतिकूल रिपोर्ट 2. ठेकेदार के खाते पर अनुबंध की समासि। इस आधार पर नाम हटाने के संबंध में मुख्य अभियंता का निर्णय अंतिम होगा। 3. पैरा 4.2 और 4.5 में निर्धारित अनुसार निविदा सूचनाओं के लिए पंजीकरण शुल्क, डाक शुल्क का भुगतान न करना। 4. किसी फर्म में किसी फर्म या व्यक्ति को दिवालिया घोषित करना। 5. ठेकेदार जिस श्रेणी और कार्य श्रेणी में सूचीबद्ध हैं, उसमें 3 वर्ष से अधिक समय से केआरसीएल पर लगातार निविदाओं में भाग नहीं ले रहे हैं।

		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<i>\\</i> ' \\		
		1	हैं, उसमें 3 साल		
			से केआरसीएल पर		
		लगातार निविदाः	ओं में भाग नहीं ले		
		रहे हैं।			
क्रमांक	मद संख्या	में	ौजूदा	संशोधित	
	भाग ।।।				
6	6	निविदा सूचना जारी करना।		निविदा सूचना जारी करना।	
		B) निविदा सूचन	ग प्राप्त करने के	निविदा सूचना प्राप्त होने के बाद	
		बाद, ठेकेदार निव	म्नलिखित लागत	ठेकेदारों को निम्नलिखित शुल्क	
		दस्तावेजों का भुगतान करके		का भुगतान करके निविदा	
		निविदा दस्तावेजों के लिए आवेदन		दस्तावेजों के लिए	र आवेदन
		करेंगे, दस्तावेजों	की वसीयत के	करना होगा, अतिरिक्त शुल्क	
		अनुसार बिक्री कर। बिक्री कर यथा		विक्री कर लिया	जाएगा।
		लागू			
		पंजीकरण की	दस्तावेज़ की	पंजीकरण की	दस्तावेज़ की
		श्रेणी के अनुरूप	लागत	श्रेणी के अनुरूप	लागत
		कार्य का मूल्य		कार्य का मूल्य	
		क्लास A	₹. 2,000/-	क्लास A	₹. 10,000/-
		क्लास B	₹. 1,500/-	क्ला स B	₹. 5,000/-
		क्लास C	₹. 1,000/-	क्लास C	₹.3,000/-
		क्लास D & E	₹. 500/-	क्लास D	₹. 2,000/-
				क्लास E	₹. 1000/-
				काम के लिए -	₹. 25,000/-
				रुपये. 50.0	
				करोड़ से	
				अधिक कार्योके	
				लिए।	
				टिप्पणी:	
				उपरोक्त के अतिरि	। रक्तः
				(i) यदि निविदा	
				कोई योजना/ड्राइं	
				तो 200/- प्रति	
				(II 2007 - AIC	A101611/ ŽIŹ41

து	मद संख्या	मौजूदा	अतिरिक्त लगाया जाएगा। (ii) यदि कोई निविदा प्रपत्र रिज. द्वारा भेजा जाना है। पोस्ट, अतिरिक्त डाक खर्च @ 500/- प्रित टेंडर फॉर्म लिया जाएगा। संशोधित
7	6	निविदा स्चना जारी करना C) पंजीकरण के बाद, योग्य ठेकेदारों को पैरा 4.5 के अनुसार एक महीने के भीतर अपेक्षित जमा / शुल्क (डाक शुल्क, पंजीकरण शुल्क और एसईएमडी) का भुगतान करने की स्चना दी जाएगी। ऐसे समय तक, ठेकेदारों को उनकी पात्रता के अनुसार उपरोक्तानुसार निविदा स्चनाएँ प्राप्त होंगी। पहली निविदा उद्धृत करते समय, ठेकेदारों को सभी शुल्क जमा करना/भुगतान करना होगा। यदि कोई ठेकेदार ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे तुरंत कॉर्पोरेट कार्यालय के ध्यान में लाया जाएगा। जब तक वह सभी आवश्यक शुल्क/जमा का भुगतान नहीं कर देता, तब तक उसे कोई और निविदा नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। एक माह के बाद अनुपालन न करने की स्थिति में भी उनका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जायेगा।	हटा दिया गया है